कार्यस्थल में महिला उत्पीड़न किसी को परवाह नहीं

इसकी शुरूवात नितंबों पर हल्की सी थपकी से हुई थी और यह थपकी इतनी हल्की थी कि सोमिता को इसका अहसास तक नहीं हुआ लेकिन उसके बॉस सुचित का दुसाहस बढने लगा और वह उसकी पति की यौन क्षमता के बारे में बात करने लगा . सोमिता ने जब इस पर आपत्ती की तो उसके द्वारा यह तर्क दिया गया कि यह दिल्ली है हम हर चीज पर खुली चर्चा कर सकते है और इस दफ्तर के माहौल से जल्दी परिचित होना तुम्हारे लिये अच्छा ही होगा. २१ साल की नवविवाहिता सोमिता घबरा गई. सॉफ्टवेयर फर्म में सेक्रेटरी की यह नौकरी उसने अभी शुरू ही की थी. उसे यह डर था कि उसके पति से यह सब कहाँ तो वह उसी ही दोषी ठहरा सकता है।

यह यातना वह पाँच माह तक सहती रही. सुचित उसके साथ अश्लील मजाक करता, फब्तियां कसता मिटिंग मे मेज के नीचे से पांव पर पैर रख देता। सचित की शिकायत जब सोमिता ने अपने उच्चाधिकारीयों से की तो उनका जबाब था कि-वयस्क और परिपक्व व्यक्ति होने के नाते ऐसे मामले अपने स्तर पर ही सुलझा लेना चाहिय. अब सोमिता के पास नौकरी छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था . सुचित का यह हौसला इसलिये बढता गया क्योंकि उसकी पीछली सेक्रेट्री मीता उससे काफी घुल-मिल चुकी थी. यदि सुचित को अपने किसी छोटे अधिकारी या कर्मचारी को नीचा दिखाने होता तो वह वह दफ्तर में अपने कैबीन से ही अपने टेलीफोन अपनी सेक्रेट्री मीता से उस अधिकारी की अंग्रेजी की गलती निकाल कर मीता से अभिताब बच्चन की स्टाईल (कौन बनेगा करोड़पति)में टेलीफोन पर बात करता कि - मीता इस शब्द की स्पेलीग क्या होगी. श्योर। एक बार फिर सोच लो. लाक कर दूँ और इस बात का जवाब मीता बडे अनुठे अदाज में देती. सामने बैठा छोटा अधिकारी अपनी बेईज्जती महसूस करता. सुचित अपनी पुरानी सेकेट्री मीता के नौकरी छोड़कर जाने के बाद ऐसी ही उम्मीद अपनी नई सेकेट्री सोमिता से करता और इसी से शुरूवात होती है महिला उत्पीडन की.

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण लगातार होता ही रहता और इस बात के लिये जिम्मेदार सिर्फ महिलाऐं ही है जो या तो अपनी बदनामी की वजह से या लंबी कानूनी लड़ाई की चिंता की वजह से यह उत्पीड़न चुपचाप सहन करती रहती है और इससे होता यह है कि यौन शोषण करने वाले के हौसला लगातार बुलंदी पर होता है . कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कार्यालयों में महिलाओं के यौन शोषण के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये थे जो विशाखा दिशा निर्देश के नाम से जाने जाते है. राजस्थान के एक गांव की सामाजिक कार्यकर्ता से सामुहिक बलात्कार के बाद राजस्थान के ही विशाखा और दूसरी महिला संगठनों की की जनहित याचिका के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने इसे जारी किया था। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, सेवानिवृत न्यायाधीश श्रीमान जे.एस.वर्मा, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहते हुए विशाखा दिशानिर्देश तैयार करने वाले न्यायाधीशों में से थे वे कहते है कि- जो यह मानते हैं कि विशाखा का पालन करने के लिए वे कानूनन बाध्य नहीं हैं, शायद उन्हें यह नहीं पता कि संविधान के अनुच्छेद १४१ में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का घोषित किया हुआ कानून भारतीय सीमा के भीतर की सभी अदालतों पर लागू होगा.

कार्यस्थल में महिलाओं का यौन शोषण रोकने के लिये चार साल पहले उच्चतम न्यायालय ने जो दिशानिर्देश जारी किये उनकी अनदेखी जारी है लेकिन कोई शिकायत नहीं करता।

राष्ट्रीय महिला आयोग के इस संबंध में एक विधेयक का प्रारूप तैयार किया था कि सांसदों द्वारा पारित विधेयक को सरकारी कार्यालयों के अधिकारी और मालिक गंभीरता से लेगे क्योंकि फीलहाल से प्रतिष्ठान इसे गंभीरता से लेते नजर नहीं आ रहे है. फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की मानव संसाधन समिति के सचिव असित रॉय इसकी खुली आलोचना करते हैं कि औघोगिक जगत के सामने यौन शोषण से कहीं महत्वपूर्ण समस्याएं हैं और राय यह भी कहते है कि जिस तरह दहेज कानूनों का दुरूपयोग ससुराल पक्ष और पति को तंग करने के लिये किया जाता रहा है उसी तरह इस कानून का दुरूपयोग भी पुरूष सहकर्मियों को परेशान करने और उन्हें ब्लैकमेल करने के लिये हो सकता है. और इस साक्षी की के.गीता का जवाब है सिर्फ इस डर से कि कुछ महिलाएं इस कानून का दुरूपयोग करेंगी, उन महिलाओं को न्याय से क्यों वचित रखा जाए जो यौन शोषण की पीड़ा झेल रही है.

कार्यस्थल पर ऐसी व्यवस्था से आईएएस अधिकारी नलिनी नेट्टो को जरूर मदद मिल पाती. पुलिस ने कुछ साल पहले नलिनी के आरोपा ंपर केरल के पूर्व परिवहन मंत्री नीललोहित दासन नाडर के विरूद्ध आरोप पत्र दायर किया था. आरोप पत्र के विरूद्ध निचली अदालत में दायर नाडर की याचिका जब खारिज कर दी गई तो उन्होंने हाईकोर्ट में इसकी अपील की और नलिनी ने यह लम्बी लडाई लड़ी है . नलीनी ने यह आरोप लगाया था कि नाडर ने कथित तौर पर कार्यालय में उनका शीलभंग करने की कोशिश की थी. नलिनी की शिकायत के बाद एक सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया था, जो विशाखा दिशानिर्देश का सरासर उल्लंघन है कि ऐसे मामलों की जाँच समिति की अध्यक्ष महिला ही होनी चाहिये और समिति की कम से कम आधी सदस्य महिला होनी चाहिये जिसमें एक एन.जी.ओ. महिला होनी चाहिये इस समिति को बाद में भंग कर दिया गया. ऐसे मामले में आयोग यह चाहता था कि मामले की सार्वजनिक रूप से रूनवाई हो और इससे नलिनी इतनी डिप्रेस हो गई थी कि वह आत्महत्या करने पर उतारू हो गई थी।

इसी प्रकार का एक मामला ओरिएण्टल इंश्यूरेंस कम्पनी लिमिटेड के जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय में हुआ जहाँ पर पूर्व क्षेत्रीय प्रबन्धक के पद पर पदस्त डॉ व्ही.एन. भार्गव पर मिसेस एक्स ने यह आरोप लगाया कि जयपुर के क्षेत्रीय प्रबन्धक के द्वारा दुर्भावना से ग्रसित होकर उसका कार लोन छह माह तक अपने पास रोके रखा जो कार लोन नई-दिल्ली को स्वीकृत हो चुकी थी. मिसेस एक्स ने रास्थान महिला आयोग जयपुर को इस संबंध में एक शिकायत दर्ज की. इस शिकायत में उन्होंने यह लिखा कि 3 डॉ व्ही.एन. भार्गव के पास अनेक कार्य से जाने तथा अपने कार लोन की स्वीकृत के लिये जब वे डॉ भार्गव के पास गई तो उन्होंने यह कहाँ गया कि तुम जानती हो कि मण्डल प्रबन्धक का पद और कार ऐसे ही थोडे मिल जाती है उसके लिये कई ऐसे कार्य करने पड़ते है तभी यह लम्बे समय तक ठीक पाते है तुम जिन्दगी में पहली बार इस पद पर नियुक्त हुई हो आओ किसी दिन मेरे साथ बाहर क्यों नहीं चलती और उन्होंने मेरे साथ भौतिक हरास्मेंट करने की कोशिश की मिसेस एक्स ने डॉ भार्गव से कहाँ कि में एक शिष्ठ, चरित्रमान और उच्च घराने की शादी शुदा औरत और दो बच्चों की मां हूँ मैं ऐसा नहीं कर सकती व एक सम्मानजनक पद पर पदास्थापित हूँ मैं ऐसा नहीं कर सकती मेरे में आपको ऐसी अपेक्षा नहीं करनी चाहिये मैंने यह भी निवेदन किया कि आप हमारे क्षेत्रीय प्रबन्धक है और हमारे संरक्षक है लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे साथ अपने कार्यालय में टार्चर व भौतिक हराशमेंन्ट करने लगे कि मैं बमुखकिल अपनी अस्मत को बचा सकी 3 और इसी बात से नाराज होकर मुख्यालय से मेरा स्थानानंतरण करने की सिफारिश कर दी और मेरा ट्रान्सफर हो गया।

मिसेस एक्स ने अपनी इस शिकायत में यह भी लिखा कि डॉ भार्गव ने मुझसे यह कहाँ कि 3 मैडम आप खाली हाथ आती है कुछ लेकर नहीं आती है अन्य स्थानों से आने वाले भी कभी खाली हाथ नहीं आते है उनका इशारा प्रतिमाह कुछ धनराशी बांटने से था मैडम यह राशि उपर तक शेयर करनी पड़ती है. मिसेस एक्स ने डॉ भार्गव की शिकायत में यह भी लिखा गया कि उपरोक्त दोनों कार्य शारीरिक सम्बन्ध एवं धन सम्बन्धित इच्छा प्रार्थीनी के द्वारा नहीं किये जाने के कारण श्री भार्गव ने कहा मेडम आपको उक्त दोनों काम करने होगे वरना आप मेरे से कोई फेवर गेन नहीं कर सकती4 परिणाम तहत श्री भार्गव रिजनल मेनेजर जयपुर से हेडआफिस को मेरा स्थानान्तरण के लिये मेरा नाम सिफारिश हेडआफिस को कर दी और यह भी कह दिया कि मैं देखता हूँ कि इसे मेरे कार्यालय